न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :- हेमलता धाणदिया, आर.जे.एस
नम्बरी फौजदारी संख्याः- 1054/2022
सीएनआर नंबरः- RJCH070018722022
एफआईआर संः- 204/2022
पुलिस थानाः- राजगढ़

राजस्थान राज्य

बनाम

प्रवीण कुमार उर्फ नानिया पुत्र सुमेर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 33 रामबास कस्बा राजगढ़ जिला चूरू

-अभियुक्त

-:अपराध अंतर्गत धारा 323, 341/34 भा.द.सं.:-

उपस्थितिः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री **अजीत सिंह** वास्ते अभियुक्त।

-:निर्णय:- दिनांकः- 13.07.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 16-05-2022 को प्रार्थी विनोद ने एसएचओं पुलिस थाना राजगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 15.05.2022 को रात्रि में माहेश्वरी भवन में रिकॉर्डिंग का काम कर वापिस बाजार की ओर जा रहा था, तो करीब 10 बजे के आसपास मोदी पत्थर गोले के पास 5 आवारा किस्म के लड़के किशन गोस्वामी, कालिया नाई, नानिया व दो अन्य ने उसे राह चलते हुए को रोक लिया व थप्पड़ मुक्कों से मारपीट करने लगे जिससे उसके चोटे लगी आदि आदि....।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना राजगढ़ द्वारा प्र.सू.रि. 204/2022 अन्तर्गत धारा 323, 341, 143 भा.द.सं. दर्ज कर मामलें में आवश्यक अनुसंधान कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341/34 भा.दं.सं. प्रमाणित मान न्यायालय में नतीजा चालान पेश किया, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध बाबत प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341/34 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह

पी.ड.-01 जयप्रकाश, पी.ड.-02 डॉ. संजीव कालेर, पी.ड.-03 नरेश, पी.ड.-04 विनोद, पी.ड.-05 रमेश कुमार को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-01 घटनास्थल नक्शा मौका, प्रदर्श पी-1ए हालात मौका, प्रदर्श पी-02 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी-03 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी-4 चॉक एफआईआर, प्रदर्श पी-05 आरोप पत्र आदि दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये तो अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष हैं व उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

"क्या अभियुक्त ने एक साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 15.05.2022 को समय करीब 10:00 बजे या उसके लगभग रात्रि में कस्बा राजगढ़ में परिवादी/आहत विनोद का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने का अपराध कारित किया?

यदि हां तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

दोनों पक्षों की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है तथा गवाहों द्वारा जो कोई विरोधाभासी कथन किये गये हैं, तो वह समय के अंतराल से आना स्वाभाविक होने के कारण तुच्छ हैं, जिसपर गौर नहीं किया जाना चाहिए, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी विश्वसनीय दिखायी देती है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाये।

दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद नहीं है। परिवादी अभियुक्त को नहीं पहचानता है। मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा चोट प्रतिवेदन में वर्णित चोटे मोटरसाईकिल से स्लिप होने से आने बाबत कथन किया है। अतः अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित किए जाने बाबत पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करें तो यह प्रकट होता है कि गवाह **पी०ड०-1 जयप्रकाश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये है कि उसका रमेश फोटो स्टूडियों के नाम से भगवानी देवी अस्पताल के पास दुकान है, जहां वह और उसका भतीजा विनोद काम करते हैं, दिनांक 15.05.2022 को दोनों महेश्वरी भवन में फोटोग्राफी कर रहे थे, रात को करीब 09.30-10 बजे विनोद बाजार की ओर जा रहा था, तो मोदी पत्थर गोले के पास किशन गोस्वामी, नानिया जाट, कालिया नाई, सुरेन्द्र

उर्फ स्कूटरिया ने उसके भतीजे विनोद को रोककर मारपीट की, विनोद ने जब सूचना दी तो वह भागकर गया, चारों ने थाप मुक्कों से मारपीट की, किशन के पास डंडा था, जिससे हाथ और बाजू पर चोटे मारी थी। वह गया तब वे लोग वहां से भाग गये थे। पुलिस ने फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी-01 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है **दौराने जिरह गवाह** ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि उसने घटना आंखो से नहीं देखी। वह जो मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के नाम लिखवाए, उनको वह नहीं जानता, उनके नाम उसके भतीजे विनोद ने बताए थे।

गवाह पी०ड०-2 डॉ. संजीव कालेर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये है कि दिनांक 16.05.2022 को पुलिस थाना राजगढ़ ने मजरूब विनोद के आई चोटों का मेडिकल मुआयना बाबत तहरीर प्रदर्श पी-01 दी, जिस पर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-02 तैयार किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। जिसके कुल 4 चोटें जिसमें से चोट संख्या 01 खरोंचनुमा चोट सिर में बांई तरफ, चोट संख्या 02 नीलगू के निशान दाहिने कंधे पर, चोट संख्या 04 खरोंचनुमा निशान दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूली पर व सभी चोटे सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित थी। **दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि** इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-01 पर एफआईआर का अंकन नहीं है, स्वंय कहा कि उसे एफआईआर नं. नहीं दिए गए थे। इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि चोट संख्या 01 से 04 में अगर कोई व्यक्ति मोटरसाईकिल से फिसलकर गिर जाए तो चोट आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

गवाह पी०ड०-3 नरेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब एक साल पहले मोदी पत्थर वाली रोड़ पर विनोद के साथ मारपीट होने के लिए पुलिस मौका देखने आई थी, नक्शा मौका प्रदर्श पी-01 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह गवाह** ने कथन किया कि उसके अलावा जयप्रकाश विनोद के हस्ताक्षर करवाए थे। इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि घटनास्थल पर मोड़ है तथा रोड़ भी खराब है।

गवाह पी०ड०-4 विनोद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किए हैं कि दिनांक 15.05.2022 की रात को माहेश्वरी भवन में रिकॉर्डिंग करके बाजार की ओर पैदल जा रहा था तो रात को करीब 10 बजे मोदी पत्थर गोले के पास 5 आवारा किस्म के लडके किशन गोस्वामी, नानिया जाट, कालिया नाई और दो अन्य ने उसे रोक लिया छिना झपटटी करने लगे, गाली गलोच करने लगे। सभी ने उसे घेरकर थप्पड मुक्कों से मारपीट की। किशन के पास डंडा था जिससे उसने उसके दाहिने हाथ के बाजू पर मारी। वह नीचे गिर गया तो सबने थापा मुक्कों से मारपीट की। उसके बायें हाथ और कंधे पर चोटें आई और सिर में भी लगी। उसके चाचा आये तो ये लोग भाग गये। घटना कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मोका प्रदर्श पी 1

पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह गवाह** ने कथन किया कि उसने जो उपर नाम बताए है, उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से पहले से नहीं जानता। इस सुझाव को अस्वीकार किया कि वह जो मारपीट होनी बता रहा है, उस रोज प्रत्येक व्यक्ति को नाम से ना जानता हूं। मुकदमा उसने जो घटना होनी बता रहा है, उस रोज नहीं करवाया, उसके बाद में करवाया था। एफआईआर उसने करवाई थी, जो थाने में लिखवाई थी। उसके मारपीट में कंधे, सिर व हाथ में चोट आई थी।

गवाह पी०ड0-5 रमेश कुमार का बयान है कि दिनांक 16.05.2022 को प्रार्थी विनोद ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 4 पर सी से डी कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर हैं। दौराने तफतीश घटनास्थल पहुंच रूबरू मोतबीरान नक्शा मोका प्रदर्श पी 1 पर जी से एच, हालात मोका प्रदर्श पी 1ए पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एमओ सीएचसी राजगढ को मजरूब विनोद का मेडिकल मुआयना बाबत तहरीर प्रदर्श पी 1 पर सी से डी, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। तफतीश से मुलजिम प्रवीण कुमार उर्फ नानिया के विरूद्ध जुर्म धारा 341, 323, 34 भादस का प्रमाणित माना व किशोर देवकिशन उर्फ किशन, आदित्य सेन उर्फ कालिया, सुरेन्द्र उर्फ स्कूटरिया के विरूद्ध जुर्म धारा 341, 323, 34 भादस में पृथक से चालान किशोर न्यायालय चूरू में पेश किया। मुलजिम प्रवीण कुमार उर्फ नानिया के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 341, 323, 34 भादस में प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी कृष्ण कुमार को सुपुर्द की जिन्होंने आरोप पत्र प्रदर्श पी 5 न्यायालय में पेश किया, जिस पर ए से बी थानाधिकारी कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह गवाह** ने इस सुझाव से इंकार किया कि आहत बाईक से गिर कर चोटिल हो गया हो तथा मुलजिमान को फसाने के लिए उनका गलत नाम लगाया हो। इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि उसने घटनास्थल के आस पास के लोगों से कोई अनुसंधान नहीं किया।

सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341/34 भा.द.सं. को साबित करने के लिए यह साबित करना था कि-01 **"क्या अभियुक्त ने अभियुक्तगण (विधि से संघर्षरत बालकों के साथ) मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 15.05.2022 को समय करीब 10:00 बजे या उसके लगभग रात्रि में कस्बा राजगढ़ में परिवादी/आहत विनोद का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने का अपराध कारित किया?**

उक्त तथ्य के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि स्वंय प्रथम सूचनाकर्ता विनोद ने गवाह संख्या पी.ड.-04 के रूप में परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 15-05-2022 को रात के लगभग 10 बजे मोदी पत्थर गोले के पास किशन गोस्वामी, कालिया नाई, नानिया जाट और दो अन्य लोगों द्वारा उसे रोककर छिना-झपटी कर मारपीट करने बाबत सशपथ कथन किए हैं। दौराने जिरह गवाह ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि वह उनको पहले से

नहीं जानता है, किंतु फिर भी घटना दिनांक 15.05.2022 की है व स्वंय प्रथम सूचनाकर्ता ने घटना के दूसरे दिन प्रातः दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण के नाम लिखे है, यद्यपि अभियुक्त प्रवीण कुमार का मूल नाम नहीं लिखा जाकर उसका दूसरा नाम नानिया लिखा गया है। उक्त तथ्य बाबत अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने जिरह कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस न्यायालय के विनम्र मत में उक्त रूप से दूसरा नाम लिखा जाने मात्र से अभियुक्त के द्वारा मारपीट किए जाने बाबत परिवादी द्वारा किए गए अखंडित कथन खंडित नहीं होते है।

इसके अतिरिक्त स्वंय मजरूब विनोद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-03 में किसी व्यक्ति के चश्मदीद गवाह होने का तथ्य अंकित नहीं किया गया है। गवाह ने मारपीट होने पर उसके चाचा के आने बाबत अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किए है, उसके चाचा जयप्रकाश ने पी.ड.-01 के रूप में परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में घटना नहीं देखे जाने व घटना कारित होने पर घटनास्थल पर जाने पर अभियुक्तगण के वहां से भाग जाने बाबत सशपथ कथन किए हैं। पी.ड.-02 संजीव कालेर ने मजरूब का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-02 बनाए जाने बाबत सशपथ कथन किए हैं, जिससे मजरूब के चोट आने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है, उक्त गवाह द्वारा दौराने जिरह मजरूब के मोटरसाईकिल से फिसलकर गिरने से चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-02 में वर्णितानुसार चोटे आने के तथ्य को स्वीकार किए जाने मात्र से उक्त चोटे मोटरसाईकिल से गिरने से आने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में जबकि स्वंय मजरूब द्वारा अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ नानिया द्वारा उसे रोककर मारपीट किए जाने बाबत सशपथ अखंडित कथन किए गए हैं तो उक्त कथनों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। उक्त तथ्य को नासाबित करने के लिए अभियुक्त द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 34 भा.द.सं. संदेह से परे साबित करने में सफल रहा हैं, अतः अभियुक्त को उक्त अपराध धारा 323, 341, 34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ नानिया पुत्र सुमेर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 33 रामबास कस्बा राजगढ़ जिला चूरू को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 34 भा.द.सं. के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(हेमलता धाणदिया)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

<u>सजा के प्रश्न</u>

सजा के परिमाण पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य नहीं है, अभियुक्त विगत 04 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जावें। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त को अनुकरणीय दंड से दंडित किया जावे।

बहस पर विचार कर पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह प्रकट है कि मुलजिमान विगत 04 वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है। पत्रावली पर अभियुक्त के पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई दस्तावेज नहीं है। साथ ही अभियुक्त ने पूर्व में दोषसिद्धि नहीं होने बाबत् शपथ पत्र पेश किये हैं। उक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उन्हे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

परिणामस्वरूप अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ नानिया पुत्र सुमेर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 33 रामबास कस्बा राजगढ़ जिला चूरू को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 34 भा.द.सं. के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध करार दिया जाकर उन्हे तुरन्त कारावास से दण्डित न किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त एक साल की अवधि के लिये रूपये 10,000/- की जमानत व इसी कदर राशि का बंधपत्र इस आशय का पेश करें कि वह इस अवधि के दौरान शांति व सदाचार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगा, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर सजा भुगतने के लिये स्वयं उपस्थित रहेगा व साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त 500/-रुपये अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करावें, तो उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावें।

(हेमलता धाणदिया)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू राज.।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2026 को मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमलता धाणदिया)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू राज.।